न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) सोपाराम पुत्र सवाराम जी व रामाराम पुत्र सवाराम जी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

(2) ग्राम पंचायत जावाल, वर्तमान मेंः नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

(3) प्रतापराम पुत्र जैसाजी, जाति– माली, निवासी– जावाल, तह. व जिला– सिरोही

(4) कपूराराम पुत्र जैसाजी, जाति– माली, निवासी– जावाल, तह. व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 51 / 2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, अप्रार्थी संख्या– 1, 3 व 4 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मई, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.3.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या–2 का जवाब बन्द किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पक्षकार बनाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जिस भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.3.2021 को जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या– 1(एक) के पक्ष में जिस भूमि [illegible] जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 328 किस्म [illegible] भूमि [illegible] दर्ज है। यह कि जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक [illegible].2021 में Suo moto के

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

तहत प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःसर्तकता/33(14)()बैठक/ 2021/185 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा दिनांक 01.01.2020 के पश्चात् जारी पट्टो में से 42 पट्टे गोचर भूमि एवं 15 पट्टे प्रतिबंधित राजकीय भूमि एवं निजी खातेदारी भूमि में जारी किये गये। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त 57 पट्टे अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टो को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःमा.ज.सु/स.प्र.(32)/2022/76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा गोचर .भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नही करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नही किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गोचर भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 (एक) का अवासीय मकान पाया गया जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निगरानी उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पत्रांक/सतर्कता/33(14)()बैठक/2021/185 दिनांक 13–12–2021 की पालना में प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के सारांश पद संख्या 4,5,6 एवं 7 (पेज संख्या 4 व 5) में जांच अधिकारी द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को घोर अनियमितता, पद का दुरूपयोग करने एवं विकास अधिकारी, प.स. सिरोही द्वारा गंभीर प्रकृति के प्रकरण में लापरवाही बरतने, दोषी कार्मिकों, जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने एवं दोषियों को संरक्षण देने का कार्य करने की पुष्ठी की गई है परिणामस्वरूप तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाने एवं विकास अधिकारी पं.स. सिरोही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंषा की गई है। लेकिन उच्च स्तरीय जिला [illegible] तत्कालीन सरकारी कर्मचारीयों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई सं[illegible]र्यवाही नहीं की है सिर्फ गरीब और बेकसूर जनता के विरु[illegible] तक उक्त

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जांच रिपोर्ट में आदेशित कार्यवाही की पूर्ण पालना नहीं की जाती, तब तक उपरोक्त अनवाणी प्रकरण एवं ऐसे अन्य सभी प्रकरणों में सच्चा न्याय नही हो पाएगा। यह कि अप्रार्थी सं. 2 (सरपंच ग्राम पंचायत, जावाल) द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में उपरोक्त पट्टा संख्या 39 दिनांक 22—3—2021 सही एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया के पुराने पुश्तैनी हक स्वामित्व मानते हुए सम्पूर्ण मिसल मय पत्रावली प्रक्रिया के तहत मौके पर जांच कर पुराना पुश्तैनी मकानात हक बतौर साक्ष्य मानते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा नियमानुसार जारी किया हुआ ह। अप्रार्थी सोपाराम व रामाराम गरीब व अनपढ व्यक्ति है जो पशु चराने का कार्य करते है एवं समाज के सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति है। जो पिछले 40 वर्षों से अपने पुरे परिवार के साथ वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर निवास कर रहे हैं. एवं प्रश्नगत भूमि के आस पास चारों तरफ ग्राम जावाल की मुख्य एवं पुरानी आबादी बसी हुई है जिसमे लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से पक्के मकान, दुकान निर्माण करवाए हुए है। इस प्रकार मौका स्थिति एवं पट्टा दस्तावेज के आधार पर यह पूर्णतया साबित है की अप्रार्थी संख्या—1 (एक) प्रश्नगत भूमि पर कदीमी से काबिज है। अप्रार्थी सोपाराम व रामाराम के पुराने केलूपोश मकान बने हुए है जिसमें पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर निवास कर रहे है। प्रश्गत भूमि मौके पर पुरानी बसी हुई आवासीय आबादी कॉलोनी के रूप में ग्राम पंचायत जाबाल (वर्तमान में नगरपालिका जावाल) का हिस्सा है एवं उक्त भूमि के आस पास में चारों तरफ आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, सरकारी विद्यालय स्थिति है जो की ग्राम जावाल की सबसे पुरानी आबादी भूमि है जिसमे अडीस—पडोस में कई लोगो द्वारा निर्मल भारत योजना के अंतर्गत निजी शौचालय व मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत मकान निर्माण किये हुए है उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या—1 व अन्य करीब 500 परिवार पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से निवास कर अपना जीवन यापन कर रहे है। ग्राम जावाल सिरोही तहसील का सबसे बड़ा व्यापारिक कस्बा है एवं प्रश्नगत भूमि ग्राम जावाल की पुरानी मुख्य आबादी भूमि हैं जिसमे ग्राम जावाल के बाशिंदे कदीमी समय से प्रश्गत भूमि पर निवास करते आ रहे है और अगर किसी त्रुटीवश राजकीय रेकर्ड में प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व भूमि के रूप में दर्ज हैं तो यह पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत, प्रशासन एवं राजस्व विभाग की लापरवाही एवं असफलता का ही नतीजा है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में ग्राम पंचायतों को जरूरत के अनुसार आबादी भूमि आवंटन करने के नियम बना रखे है एवं समय समय पर आदेश व परिपत्र जारी कर ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करने के निर्देश दिये गये है, उक्त आदेश व परिपत्र प्रभावी होने बावजूद ग्राम जावाल की पुरानी एवं मुख्य आबादी भूमि राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज़ न होकर गोचर के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा की हुई लापरवाही को न दोहराते हुए जिला कलेक्टर महोदय को विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 257 के अन्तर्गत निर्मित नियम 7 में यह अधिकार प्राप्त है की वह संबंधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका से विचार विमर्श कर चारागाह भूमि की किस्म को परिवर्तन कर और उसके बदले अन्य भूमि सेटपार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए व 92 के अनुसार जिला कलेक्टर को आबादी विकास हेतु भी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विवादित खसरा भूमि में से ही जनहितार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पटवार घर, पुलिस चौकी व अन्य राजकीय कार्यों हेतु भूमि सेट अपार्ट कर आवंटित की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य ही आस पास बसे ग्रामीणों को सरकारी सेवायें/योजनाओं का [illegible] करवाना है? अगर कदीमी समय से निवासरत उन सभी लोगों को वहां [illegible] हटाया जाता है तो उपरोक्त सरकारी कार्यालयों को प्रश्नगत जगह पर स्थापित [illegible] का उद्देश्य ही समाप्त

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हो जाएगा। अगर अप्रार्थी संख्या–1 की प्रश्नगत पट्टाशुदा भूमि राजस्व विभाग में त्रुटीवश गोचर भूमि के रूप में दर्ज है तो आस पड़ोस के अन्य सभी सरकारी कार्यालय भी अवैध है। विवादित खसरा भूमि कभी भी चारागाह हेतु उपयोग में नही आ रही है, केवल मात्र आवासीय, व्यवसायिक व सरकारी भवनों हेतु ही उपयोग में ली जा रही है। जीवन जीने एवं आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) सपठित अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त मूलभूत अधिकार है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दृष्टांत Rajesh yadav vs State of UP में यह प्रतिपादित किया है कि आश्रय का अधिकार एक मूलभुत अधिकार है एवं राज्य का यह मानवाधिकार एवं संवैधानिक कर्तव्य है कि समाज के गरीब एवं कमजोर तबके के लोगो के रहने के लिए राज्य अपने स्त्रोंत में से आवास उपलब्ध करवाए है। यह कि अप्रार्थी संख्या–1 (सोपाराम व रामाराम) द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 07.6.2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया है। भूमि का जब विक्रय ही हो गया है तो उस पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना प्रश्नगत पट्टे को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन खारिज कर अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 के मूलभूत व विधिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 के अधिकारों की रक्षा कर एवं विधि में दिए गये प्रावधान अनुसार वादग्रस्त भूमि की किस्म को रेकर्ड में गोचर से आबादी में परिवर्तन कर अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 के हितो को संरक्षित कर उनसे नियमानुसार शुल्क वसूलकर उनके पक्ष में जारीशुदा पट्टे को यथावत आबाद रखे जाने के आदेश प्रदान करावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.3.2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप खण्ड (ख)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज पांच पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo Moto दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:सर्तकता/33(14)() बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्द्री की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी समिल्लित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 328 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का कानूनून कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में गोचर भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी सोपाराम पुत्र सवाराम जी व रामाराम पुत्र सवाराम जी, जाति– रेबारी, निवासी– जावाल .के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 22.3.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:27:19 IST
Reason: SelfAttested